

समाहरणालय, मधुबनी।
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)
अल्पकालीन निविदा संख्याँ : 04/2017

संभावित बाढ़ 2017 से निपटने हेतु अंचल अधिकारी द्वारा नावों की मांग के देखते हुए नये नावों का क्रय/आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्म/प्रतिष्ठान एवं आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक— 28.06.2017 को निविदा आमंत्रित की गई थी, लेकिन उक्त तिथि को मात्र एक ही निविदा प्राप्त होने के कारण उसे खोला नहीं जा सका। क्रय समिति के निर्णय के अनुसार पुनः दिनांक— 11.07.2017 को 1.00 बजे अपराह्न तक निम्न आकार के नावों के लिए मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसे उसी दिन को 03:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी/अपर समाहर्ता, के समक्ष क्रय समिति के सदस्यों के उपस्थिति में खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदा दाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।

वॉछित नाव की विशिष्टता निम्न रूपेण होगी:--

क० लकड़ी का प्रकार नाव का आकार

जामुन/सखुआ

मझौला नाव—ल०—20फीट, चौ०— 6फीट, उ०—2फीट, लकड़ी की मोटाई—1.00 ईन्च पेन्दी में तथा 3/4 इंच(पौन इंच) साईड में (तैयारी)।

बड़ी नाव—ल०—25 फीट, चौ०— 10 फीट, उ०—30 इंच, लकड़ी की मोटाई—1.25(सबा) इंच पेदी में तथा 1 इंच साईड में (तैयारी)।

निविदा की शर्तें

1. तकनीकि एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग-अलग शिल्ड लिफाफा में जमा करना होगा।
2. तकनीकि निविदा में योग्य पाये जाने वाले निविदा दाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

तकनीकि निविदा की शर्तें

1. तकनीकी निविदा फार्म का निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ वाणिज्यकर विभाग का निबंधन, लघु उद्योग या उद्योग विभाग से प्राप्त निबंधन प्रमाण-पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन नं० एवं पैन कार्ड की छाया प्रति एवं फार्म का नाम कभी काली सूची में दर्ज नहीं है के संबंध में शपथ पत्र देना होगा।
2. निविदा दाता को जमानत की राशि के रूप में मो० 10,000.00(दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी मधुबनी के पक्ष में देय होगा तथा भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, मधुबनी पर भुगतान होगा तकनीकी लिफाफा के साथ संलग्न करना होगा।

वित्तीय निविदा की शर्तें

1. उपरोक्त मानको के अनुरूप आपूर्ति किये जाने वाले नावों का आपके फार्म का न्यूनतम दर सभी कर एवं परिवहन व्यय सहित अंकित होगा।
2. आपूर्ति के विरुद्ध समर्पित विपत्र से नियमानुसार देय भैट की कटौती एक मुश्त भुगतान के समय की जाएगी।

निविदा की अन्य शर्तें

1. नाव में गट्टा दो फीट की दूरी पर होनी चाहिये।
2. नाव में वॉक एवं गोध्वा की दूरी समुचित स्थान पर होनी चाहिए। नाव में जोंका एवं कांटी पूरी मजबूती के साथ जकड़ा होना चाहिए तथा गहनी इस प्रकार होगा कि नाव पानी में उतारने पर उनमें पानी प्रवेश न करे। नाव के विशिष्टता की जॉच, जॉच समिति के तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी। जॉच में विशिष्टता के अनुरूप पाये जाने वाले नावों को आपूर्तिकर्ता के द्वारा गहनी एवं अलकतरा का कार्य करना होगा साथ ही सभी नाव पर चदरा के प्लेट पर नाव की संख्याएँ एवं अन्य विवरणी निदेशानुसार अंकित करना होगा। गहनी एवं अलकतरा की दर निविदा में सम्मिलित रहेगा।
3. न्यूनतम दर वाले निविदा दाता को कार्यादेश के उपरांत एक माह के अंदर नावों की आपूर्ति करनी होगी।
4. निविदा में अंकित मूल्य पर जिला के किसी भी प्रखंड में नाव की आपूर्ति करनी होगी। इसके लिये अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा। नाव सुरक्षित अवस्था में संबंधित अंचल को पहुंचाना होगा।
5. कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व सफल निविदादाता को निविदा निष्पादन के दो दिनों के अन्दर उपर्युक्त शर्तों के आधार पर एकरारनामा भी करना होगा।
6. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी या सभी निविदा को अस्वीकृत या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. इस निविदा से संबंधित जानकारी जिला पदाधिकारी, मधुबनी के वेबसाईट dm-madhubani.bih@nic.in पर भी देखा जा सकता है।

22/11/17

4/7-17

17/11/17

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।